



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 माघ, 1944 (श०)

संख्या – 69 राँची, सोमवार,

6 फरवरी, 2023 (ई०)

उद्योग विभाग

अधिसूचना

19 जनवरी, 2023

संख्या-01/उ०वि०/स्था० (नियमावली)-30 /13 ..70..--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड उद्योग सेवा नियमावली, 2017 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

भाग-1

प्रारंभिक/सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:-

- (1) यह नियमावली "झारखण्ड उद्योग सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संशोधन नियमावली, 2023" कहलायेगी ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ:-

जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध नहीं हो इस नियमावली में-

- (1) 'राज्य' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य ।
- (2) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है झारखण्ड के राज्यपाल ।
- (3) 'सरकार' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार ।
- (4) 'विभाग' से अभिप्रेत है उद्योग विभाग ।
- (5) 'निदेशालय' से अभिप्रेत है उद्योग निदेशालय एवं हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय तथा समय-समय पर सरकार द्वारा उद्योग विभाग के अधीन सृजित किये जाने वाले निदेशालय ।
- (6) 'आयोग' से अभिप्रेत है झारखण्ड लोक सेवा आयोग ।
- (7) नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है:-परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पदों हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग एवं संवर्गीय उच्चतर पदों हेतु राज्य सरकार ।
- (8) विभागीय प्रोन्नति समिति से अभिप्रेत है, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित एवं गठित विभागीय प्रोन्नति समिति ।
- (9) 'सेवा का सदस्य' से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबंधों के अधीन झारखण्ड उद्योग सेवा में नियुक्त कर्मी ।
- (10) 'परीक्ष्यमान' से अभिप्रेत है परीक्षा पर नियुक्त पदाधिकारी ।
- (11) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न अनुसूची ।
- (12) 'वर्ष' से अभिप्रेत है पंचांग कैलेण्डर वर्ष ।
- (13) 'भर्ती वर्ष' से अभिप्रेत है कैलेण्डर वर्ष (1ली जनवरी से 31 दिसम्बर)

3. सेवा का गठन, संवर्ग एवं पदों का वर्गीकरण-

सेवा में स्वीकृत पदों की संख्या और इनके विभिन्न पदों के वर्गीकरण के संबंध में सरकार समय-समय पर निर्णय ले सकेगी। सरकार पदों की संख्या घटा-बढ़ा सकेगी। संवर्गीय संरचना का स्वरूप अनुसूची-1 के अनुरूप होगा। यह संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग होगा ।

भाग-2**भर्ती /नियुक्ति****4. भर्ती के श्रोत-इस सेवा में भर्ती निम्नलिखित रीति से की जायेगी:-**

- (1) भाग-3 में विहित उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ।
- (2) भाग-4 में विहित उपबंधों के अनुसार प्रोन्नति द्वारा ।
- (3) परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष (समकक्ष से तात्पर्य सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), क्रय-विक्रय पदाधिकारी (तसर), शोध पदाधिकारी (रेशम), प्राचार्य, झारखण्ड रेशम तकनीकी संस्थान, चाईबासा,संगठक-सह-कलाकार, हस्तशिल्प संसाधन केन्द्र, खूँटी एवं मुख्य अंकेक्षण पदाधिकारी) पदों पर नियुक्ति झारखण्ड उद्योग सेवा के संवर्ग के प्रथम प्रवेश मूल कोटि के पदों

पर सीधी भर्ती झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी।

- (4) उप उद्योग निदेशक/महाप्रबंधक के कुल स्वीकृत बल के 25% पदों पर सीधी भर्ती हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग सक्षम प्राधिकार होगा।

5. रिक्तियों का अवधारण एवं आयोग को इसकी सूचना:-

प्रत्येक वर्ष की एक जनवरी की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना की जायेगी। पंचांग (कैलेण्डर) वर्ष के पहली जनवरी को सरकार उस वर्ष सीधी भर्ती और प्रोन्नति द्वारा भरी जानेवाली विभिन्न कोटि की रिक्तियों एवं उनके डिस्प्लीन (भाग-3, कंडिका-9 (3) (2) में उल्लेखित विषय) को अवधारित करेगी और इसकी सूचना आयोग को दी जायेगी।

6. रिक्तियों का आरक्षण:-

उद्योग सेवा के संवर्गीय पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट/निर्धारित अद्यतन आरक्षण नीति/रोस्टर यथारूप प्रभावी होगी।

भाग-3

सीधी भर्ती

7. आयोग द्वारा रिक्तियों की घोषणा:-

सेवा में सीधी भर्ती द्वारा भरी जानेवाली रिक्तियों की संख्या एवं पदों को झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा एतदर्थ आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर यथोचित रीति से जैसा वह उपयुक्त समझे विज्ञापित करेगा और सेवा में भर्ती के लिए पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। उम्र निर्धारण हेतु कट-आफ-डेट अध्यायचना वर्ष की 01 अगस्त रहेगी। सेवा में भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 22 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन संकल्प के अनुसार निर्धारित होगा एवं जिन पदों (महाप्रबंधक/उप उद्योग निदेशक) की अर्हता में कार्य अनुभव शामिल है, उन पदों की अधिकतम उम्रसीमा 50 वर्ष रहेगा।

8. पात्रता:-

- (1) संवर्ग के मौलिक पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की पात्रता इस नियमावली की अनुसूची-2 में विहित अर्हता के अनुसार अवधारित की जायेगी। इसके तहत आवश्यकता आधारित अध्यायचना उद्योग विभाग, झारखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित करेगा।
- (2) परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पदों (वेतनमान 9300-34800, ग्रेड पे0 4800 अपु0) पर नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर उपलब्ध करायी गयी अनुशंसा के आलोक में की जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा अन्तर्गत केवल एक चरण में लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी।

- (3) उप उद्योग निदेशक/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र (वेतनमान 15,600-39,100, ग्रेड पे0 7600 अपु0) के कुल स्वीकृत बल के 25% पदों पर सीधी नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर उपलब्ध करायी गयी अनुशंसा के आलोक में की जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा अन्तर्गत केवल एक चरण में लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा जो 100 अंको का होगा।

उप उद्योग निदेशक/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के कुल विज्ञापित पद के विरुद्ध 05 गुणा अथवा 500 से कम आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का चयन अन्तर्वीक्षा/साक्षात्कार के आधार पर करते हुए अनुशंसा की जायेगी।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग के Rules of Procedure, 2002 में निहित प्रावधान के आलोक में अन्तर्वीक्षा/साक्षात्कार के अन्तर्गत 100 अंकों का साक्षात्कार एवं 100 अंको का शैक्षणिक योग्यता मूल्यांकन निहित होगा, जिसमें प्रवेशिकोर्तीण(मैट्रिक) से लेकर स्नातक स्तर तक प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

9. आयोग द्वारा उम्मीदवारों का चयन:-

- (1) उप उद्योग निदेशक/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के कुल स्वीकृत बल के 25 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा, उद्योग विभाग द्वारा अध्याचित पद बलों के आधार पर, की जायेगी। आयोग यथोचित रीति से जैसा कि वे उपयुक्त समझें इसे निष्पादित करेगा।
- (2) इस संवर्ग में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा उनके Rules of Procedure के अनुसार आयोजित होगी। परीक्षा का आयोजन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा यथा निर्धारित विषय, पाठ्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा। आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, आवेदन का प्रपत्र एवं अन्य बातें आयोग द्वारा निर्धारित की जायेगी एवं इसे सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञप्ति के माध्यम से दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जायेगी।
- (3) परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष/उप उद्योग निदेशक/महाप्रबंधक के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु परीक्षा का स्वरूप/विषय/परीक्षा अवधि/न्यूनतम अर्हतांक/विषयवार कुल पूर्णांक/पाठ्यक्रम:-
 - (i) परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति तथा उप उद्योग निदेशक/महाप्रबंधक के कुल स्वीकृत बल के 25% पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु परीक्षा का स्वरूप- झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित की जायेगी। यह परीक्षा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के Rules of Procedure के अनुसार आयोजित होगी।

(ii) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के विषय का पूर्णांक एवं अवधि का निर्धारण:-

विषय	पूर्णांक	अवधि
सामान्य हिन्दी	100	2 घंटे
अंग्रेजी	100	2 घंटे
सामान्य अध्ययन	200	2 घंटे
औद्योगिक विकास, औद्योगिक श्रम विधि एवं संबंधित नियमावली	300	2 घंटे

(iii) सामान्य हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्राप्त लब्धांक अन्य लिखित पत्रों और साक्षात्कार के लब्धांकों में नहीं जोड़ा जायेगा। सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी पत्र में 30% लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे लिखित परीक्षा के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

(iv) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-3928 दिनांक-11.08.2020 के आलोक में लिखित परीक्षा एवं अन्तर्वीक्षा में निम्नांकित न्यूनतम कोटिवार अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा-

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	34 प्रतिशत
आदिम जनजाति	30 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS)	40 प्रतिशत

न्यूनतम अर्हतांक का उपर्युक्त रूप में निर्धारण विभिन्न आरक्षण कोटियों के लिए सभी लिखित परीक्षाओं (विषय निष्ठ) एवं साक्षात्कार पर समान रूप से लागू रहेगा। उपर्युक्त न्यूनतम अर्हतांक का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन संकल्प के अनुरूप संशोधनीय होगा।

(v) लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा जो 100 अंको का होगा।

(vi) पाठ्यक्रम का निर्धारण-

सामान्य हिन्दी	सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी के पाठ्यक्रम
अंग्रेजी	प्रवेशिका (मैट्रिक) स्तर के होंगे।

सामान्य अध्ययन-

General Awareness of Jharkhand, Indian Polity, Indian History, Indian Geography and Culture, Indian Economy, Current affairs of Jharkhand State and of National & International importance, Reasoning, Environment and climate change.

औद्योगिक विकास-

1. औद्योगिक नीति, (भारत एवं झारखण्ड) ।
2. औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की प्रक्रिया ।
3. बैंकिंग अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया ।
4. औद्योगिक समस्या एवं इसका निदान ।
5. रूग्ण उद्योग का पुनर्जीवन/पुनर्वास ।

औद्योगिक एवं श्रम विधि तथा अन्य संबंधित नियम (अद्यतन यथा संशोधित)

1. औद्योगिक (विकास एवं विनियम) अधिनियम-1951 संशोधन के साथ
2. कंपनी अधिनियम, 2013 (संशोधन के साथ)
3. रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम-1985 (BIFR एवं अन्य संलग्न नियम के साथ)।
4. कारखाना अधिनियम, 1948
5. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (अनुवर्ती नियम के साथ) ।
6. Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Re-habilitation and Re-settlement Act 2013.
7. The Chhotanagpur Tenancy Act, 1908
8. The Santhalparaganas Tenancy (Supplementary Provisions) Act, 1949
9. The Jharkhand Panchayat Rajya Act, 2001
10. Panchayat Extension to the Schedule Area Act, 1996

10. स्वास्थ्य परीक्षा:-

नियुक्ति के लिए चुने गये प्रत्येक उम्मीदवार को सरकार द्वारा गठित स्वास्थ्य परीक्षा असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी जो उम्मीदवार पद के कर्तव्यों के कुशलतापूर्वक सम्पादन के लिए अपेक्षित शारीरिक स्वस्थता के संबंध में उक्त संस्थान को संतुष्ट नहीं कर पायेंगे, वे नियुक्त के पात्र नहीं होंगे ।

भाग-4**प्रोन्नति द्वारा भर्ती****11. प्रोन्नति के माध्यम:-**

- (1) झारखण्ड उद्योग सेवा के सभी पदों पर उस से ठीक नीचे के पदों पर नियमित रूप से कार्यरत पदाधिकारियों के बीच से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति दी जायेगी ।
- (2) इस संवर्ग के प्रारंभिक स्तर पर प्रोन्नति सामान्यतः इस नियमावली में संलग्न अनुसूची-4 में वर्णित पद के उपयुक्त अर्हता रखने वाले, विभाग के पदाधिकारियों के बीच से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर दी जायेगी ।

12. सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति का अनुपात:-

- (1) परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष मौलिक पद पर वेतनमान-9300-34800, ग्रेड पे-4800 या समय-समय पर सरकार द्वारा आदेशित पुनरीक्षित प्रतिस्थानी वेतनमान वाले सभी पदों पर सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति का अनुपात पचास-पचास प्रतिशत होगा । परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पदों पर 50 प्रतिशत प्रोन्नति अवर उद्योग सेवा के विभिन्न संवर्गों यथा, उद्योग विस्तार पदाधिकारी/अग्र परियोजना पदाधिकारी/अर्थ अन्वेषक से उनके कुल स्वीकृत बल के आलोक में अनुसूची-4 में निर्धारित प्रतिशत के आधार पर भरे जायेंगे ।
- (2) वेतनमान 9300-34800, ग्रेड पे-4800 के उपर वेतनमान वाले सभी वरीय पदों को संवर्ग के योग्य पदाधिकारियों जिन्होंने अपेक्षित कालावधि पूरी कर ली हो, वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा परन्तु परियोजना प्रबंधक से उपर उप उद्योग निदेशक/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के पदों के 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती हेतु प्रावधानित होंगे । शेष 75 प्रतिशत पद विभागीय प्रोन्नति समिति अपेक्षित पात्रता रखनेवाले विभागीय पदाधिकारियों में से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर पदाधिकारियों का चयन करेगी ।
- (3) उप उद्योग निदेशक/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के पद पर संवर्ग के नीचे के पद यथा जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यकारी प्रबंधक जिन्होंने अपेक्षित कालावधि पूरी कर ली हो, के द्वारा वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर 75:25 के अनुपात में प्रोन्नति दी जायेगी अर्थात् उप उद्योग निदेशक/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के पद पर 75 प्रतिशत पद उसके ठीक नीचे के पद से भरे जायेंगे एवं 25 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति के लिए कर्णांकित रहेंगे ।

- (4) उप उद्योग निदेशक/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के कुल स्वीकृत बल के 25 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा विभाग द्वारा अध्याचित पद बलों के आधार पर की जायेगी एवं आयोग यथोचित रीति से जैसा कि वे उपयुक्त समझें निष्पादित करेगा और सेवा/संवर्ग में भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। परीक्षा का आयोजन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा यथा निर्धारित विषय, पाठ्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा। आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षाशुल्क, आवेदन का प्रपत्र एवं अन्य बातें आयोग द्वारा निर्धारित की जायेगी एवं इसे सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञप्ति के माध्यम से दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जायेगी।

13. योग्यता प्रदायी सेवा:-

उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के लिए योग्यता प्रदायी सेवा (कालावधि) इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची-3 में वर्णित अवधि के अनुसार एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3286 दिनांक-04.04.2014 में उल्लेखित प्रावधानानुसार कालावधि तथा समय-समय पर संशोधित परिपत्र के आलोक में निर्धारित किया जायेगा।

14. सेवा के सदस्यों की सीधी भर्ती का अवसर:-

- (1) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले महाप्रबंधक/समकक्ष पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के इच्छुक झारखण्ड उद्योग सेवा के कोई सदस्य विभागीय अनुमति प्राप्त कर ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते की वे उस पद पर 5 वर्षों की सेवापूर्ण कर ली हो एवं उस पद की सभी वांछित अर्हताएं रखते हों।
- (2) सेवा में भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 22 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन संकल्प के अनुसार निर्धारित होगा एवं जिन पदों (महाप्रबंधक/उप उद्योग निदेशक) की अर्हता में कार्य अनुभव शामिल है, उन पदों की अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष रहेगा।

भाग-5

परिवीक्षा एवं सम्पुष्टि

15. परिवीक्षा:-

- (1) मौलिक रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त होने वाले प्रत्येक पदाधिकारी पद ग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा में रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में इनका कार्य एवं चरित्र संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उसकी सेवा समाप्त या उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी, परन्तु उसकी परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। उक्त अवधि में विभाग के स्तर से संस्थागत प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण आयोजित की जायेगी। उक्त प्रशिक्षण का स्वरूप विभागीय स्तर से अलग से संसूचित किया जायेगा।
- (2) सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त प्रत्येक पदाधिकारी को केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद झारखण्ड सरकार द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(3) विभागीय परीक्षा का विषय एवं पाठ्य क्रयम निम्नवत होगा-**(A) विषय-1. हिन्दी**

2. जनजातीय भाषा (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3372 दिनांक-18.06.2003 द्वारा अधिसूचित प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा नियमावली के Appendix-III में यथा प्रावधानित में से कोई एक भाषा)

3. लेखा (पुस्तक रहित)**(B) पाठ्यक्रम-**

- (i) हिन्दी-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3372 दिनांक-18.06.2003 द्वारा अधिसूचित प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा नियमावली के Appendix-I Section-D कंडिका-7 में यथा प्रावधानित।
- (ii) जनजातीय भाषा- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3372 दिनांक-18.06.2003 द्वारा अधिसूचित प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा नियमावली के Appendix-III में यथा प्रावधानित ।
- (iii) लेखा-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3372 दिनांक-18.06.2003 द्वारा अधिसूचित प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा नियमावली के Appendix-I Section-C कंडिका-6 के पेपर-II में यथा प्रावधानित।
- (3) उद्योग सेवा संवर्ग के सभी पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्टि के लिए दो वर्ष की परीक्ष्यमान अवधि कुशलतापूर्वक पूर्ण करना, संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- (4) उद्योग सेवा संवर्ग के सभी पदाधिकारियों को प्रथम वेतन वृद्धि एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा अवधि पूर्ण होने अथवा राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में यथा निर्धारित स्तर से उत्तीर्ण होने की तिथि जो भी बाद में हो से देय होगी, बशर्ते सेवा संतोषप्रद हो। अगली वेतन वृद्धि सेवा सम्पुष्टि के उपरांत देय होगी।
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं रहने के कारण अवरूद्ध वेतन वृद्धि का प्रभाव संचयात्मक नहीं होगा, किन्तु अवरूद्ध वेतन वृद्धि के कारण विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि के पूर्व का बकाया देय नहीं होगा।
- (5) सेवा सम्पुष्टि के उपरांत ही प्रोन्नति का लाभ देय होगा। अवर सेवा से इस सेवा के मूलकोटि पर आने वाले पदाधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्त माने जाएंगे।
उद्योग सेवा संवर्ग में उच्चतर पद पर प्रोन्नति हेतु अवर सेवा में बितायी गयी अवधि की गणना कालावधि के रूप में नहीं की जाएगी।

भाग-6**वेतन, वरीयता, प्रशिक्षण****16. वेतन-**

विभिन्न प्रवर्गों के पदों के वेतन मान अनुसूची-1 एवं 2 में दिये गये विवरणी के अनुसार या समय-समय पर सरकार द्वारा पुनरीक्षित उनके समकक्ष वेतनमान के अनुसार होंगे। किसी भी वेतन मान में किसी पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण सरकार द्वारा विहित प्रक्रियानुसार किया जायेगा।

17. उद्योग सेवा संवर्ग के प्रारंभिक/मूलकोटि के पद परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष, जैसा की भाग-2 के नियम-4(3) में वर्णित है, पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त पदाधिकारियों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा क्रम के अनुसार निर्धारित की जायेगी। दो या अधिक अभ्यर्थियों का प्राप्तांक एक समान रहने पर वरीयता का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी अर्थात् जिनकी उम्र ज्यादा होगी वे वरीय होंगे। जन्म तिथि भी एक समान रहने पर वरीयता का निर्धारण स्नातक परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांक के आधार पर की जायेगी अर्थात् जिनका प्राप्तांक अधिक होगा वे वरीय समझे जायेंगे।

उद्योग सेवा संवर्ग के प्रारंभिक/मूलकोटि के पद परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष, जैसा की भाग-2 के नियम-4 (3) में वर्णित है, पर प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त पदाधिकारियों की आपसी वरीयता उनके पूर्ववर्ती अवर उद्योग सेवा के विभिन्न पदों पर धारित वरीयता क्रम के अनुरूप विनिश्चित किये जायेंगे।

18. प्रशिक्षण:-

- (1) उद्योग सेवा के प्रत्येक पदाधिकारी को आधारभूत प्रशिक्षण, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर विनिश्चित करें, के अलावे उनके विशिष्टता वाले क्षेत्र में रिफ्रेशर कोर्स एवं इन सर्विस प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा। इस प्रकार के प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था राज्य सरकार एवं भारत सरकार एवं अन्य प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं में की जाएगी।
- (2) परीक्ष्यमान के रूप में नियुक्त होने वाले पदाधिकारी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्दिष्ट कम्प्यूटर में लेवल-1 एवं लेवल-2 स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करना बाध्यकारी होगा। इसकी व्यवस्था विभागीय स्तर से की जायेगी।

भाग-7**प्रकीर्ण****19. प्रशासनिक नियंत्रण:-**

उद्योग विभाग उद्योग सेवा संवर्ग का नियंत्री विभाग होगा तथा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव इनके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

20. अनुशासनिक कार्यवाई:-

उद्योग सेवा के समस्त पदाधिकारियों के विरुद्ध सभी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाई झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के द्वारा नियंत्रित होगी।

21. निर्वचन:-जहाँ इन नियमों या एतदधीन बनाये गये विनियमों के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न हो, इस मामले को राज्य सरकार के उद्योग विभाग में निर्दिष्ट किया जायेगा, उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा ।

22. प्रकीर्ण:-अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में उपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उन में झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे ।

23. निरसन एवं व्यावृत्ति:- 1. इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस नियमावली के विषयों पर निर्गत नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जाएंगे ।

2. ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लेखित आदेश द्वारा या उसके अधीन शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

अनुसूची-1

(झारखण्ड उद्योग सेवा में स्वीकृत पद बल)

(देखें नियम-3 'ख')

क्र.	पदों के पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	पद बल का प्रतिशत
1.	अपर निदेशक (तकनीकी)	37400-67000, ग्रेड पे-8700	01	0.83%
2.	संयुक्त उद्योग निदेशक	37400-67000, ग्रेड पे-8700	04	3.33%
3.	उप उद्योग निदेशक/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	15600-39100, ग्रेड पे-7600	20	16.67%
4.	जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यकारी प्रबंधक	15600-39100, ग्रे पे-6600	36	30%
5.	परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष	9300-34800, ग्रेड पे-4800	59	49.17%
कुल-			120	100%

अनुसूची-2

(i) (झारखण्ड उद्योग सेवा नियमावली के अन्तर्गत संवर्ग के प्रारंभिक स्तर (प्रवेश बिन्दु) पर नियुक्ति के लिए अपरिहार्य योग्यता-

(देखें भाग-3 नियम-8)

परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा एवं अनुशंसा के आधार पर होगी।

1. वेतनमान 9300-34800, ग्रेडपे-4800

2. अपेक्षित योग्यता:- (क) किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से बैचलर आफ इंजीनियरिंग या बैचलर आफ टेक्नोलॉजी की डिग्री।

अथवा

(ख) अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, विज्ञान, वाणिज्य, कास्ट एकाउन्टेसी, रेशम (सेरीकल्चर), पर्यावरण या फूड टेक्नोलॉजी अथवा प्रबंधन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री।

समय-समय पर विभाग की आवश्यकता के अनुरूप उपर्युक्त अपेक्षित योग्यता में आयोग के परामर्शानुसार संवर्धन किया जा सकेगा।

(II) (झारखण्ड उद्योग सेवा नियमावली के अन्तर्गत संवर्ग के उप उद्योग निदेशक/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र पर सीधी नियुक्ति के लिए अपरिहार्य योग्यता।

(देखें भाग-3 नियम-8)

1. वेतनमान 15600-39100, ग्रेडपे-7600

2. अपेक्षित योग्यता:-

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०ई०/बी०टेक० की डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से एम०बी०ए० की डिग्री।

अथवा

(ख) अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, विज्ञान, वाणिज्य, कास्ट एकाउन्टेसी, रेशम (सेरीकल्चर), पर्यावरण या फूड टेक्नोलॉजी अथवा प्रबंधन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से एम०बी०ए० की डिग्री।

उपर्युक्त अंश 'क' अथवा 'ख' में अपेक्षित योग्यता के अतिरिक्त सरकारी प्रतिष्ठान (Govt. Company)/सरकारी उपक्रम (PSU)/कंपनी अधिनियम 2013 अथवा पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियमों एवं

कानूनों के तहत निबंधित पब्लिक लि०, में परियोजना प्रबंधक के समकक्ष पद पर 6 वर्षों का कार्य करने का अनुभव अनिवार्य होगा ।

इसके तहत आवश्यकता आधारित अधियाचना उद्योग विभाग, झारखण्ड लोक सेवा आयोग से करेगा एवं तदुसार अर्हता भी संसूचित करेगा ।

समय-समय पर विभाग की आवश्यकता के अनुरूप उपर्युक्त अपेक्षित योग्यता में संवर्धन किया जा सकेगा ।

(ग) झारखण्ड उद्योग सेवा के पदधारक जिन्होंने 5 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो और उपर्युक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता रखते हों वे भी विभागीय अनुमति प्राप्त कर महाप्रबंधक/समकक्ष पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे । सेवा में भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 22 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन संकल्प के अनुसार निर्धारित होगा एवं जिन पदों (महाप्रबंधक/उप उद्योग निदेशक) की अर्हता में कार्य अनुभव शामिल है, उन पदों की अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष रहेगी ।

इस के तहत आवश्यकता आधारित अधियाचना उद्योग विभाग, झारखण्ड लोक सेवा आयोग से करेगा एवं तदुसार अर्हता भी संसूचित करेगा ।

समय-समय पर विभाग की आवश्यकता के अनुरूप उपर्युक्त अपेक्षित योग्यता में संवर्धन किया जा सकेगा ।

अनुसूची-3

प्रोन्नति के लिए कालावधि

1.	अवर उद्योग सेवा के विभिन्न संवर्गों ग्रेड पे-4200 से उद्योग सेवा के प्रवेश बिन्दू परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष वेतनमान 9300-34800, ग्रेड पे-4800	प्रवेश बिन्दू
2.	9300-34800, ग्रेड पे-4800 से 15600-39100, ग्रेड पे-6600 में	6 वर्ष
3.	15600-39100, ग्रेड पे-6600 से 15600-39100, ग्रेड पे-7600	5 वर्ष
4.	15600-39100, ग्रेड पे-7600 से 37400-67000, ग्रेड पे-8700	5 वर्ष
5.	37400-67000, ग्रेड पे-8700 से समान वेतनमान 37400-67000, ग्रेड पे-8700	5 वर्ष

कालावधि का उक्त अंकन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-3286 दिनांक-04.04.2014 के आलोक में है । इस संबंध में समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा पदों/वेतनमानों के कालावधि निर्धारण हेतु निर्गत संगत पत्र लागू होंगे ।

अनुसूची-4
(देखें भाग-4 नियम-11 'क')

झारखण्ड उद्योग सेवा के प्रवेश बिन्दु परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष के पद पर प्रोन्नति उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन अवर उद्योग सेवा के विभिन्न संवर्गों यथा-अग्र परियोजना पदाधिकारी/उद्योग विस्तार पदाधिकारी/अर्थ अन्वेषक के पद बल के अनुरूप निर्धारित अनुपात/प्रतिशत क्रमशः 24.35 प्रतिशत, 57.69 प्रतिशत एवं 17.96 प्रतिशत के अनुसार तथा एतद्विषयक समय-समय पर सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट सिद्धांतो/मानदण्डों के आलोक में वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर दी जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
प्रधान सचिव ।
